

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)  
पीठासीन अधिकारी :-विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 10/2024  
जीसीएमएस न० 2024/21

1. घीसुलाल पुत्र रामलालजी जाति धाकड आयु वयस्क निर्वासी कोचवा तह० निम्बाहेडा  
जिला चित्तौडगढ राज०

- प्रार्थी

बनाम

1. गुडडीबाई पत्नि अमरचन्द जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा  
जिला चित्तौडगढ राज०
2. नोजी पत्नि घीसालाल जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा  
जिला चित्तौडगढ राज०
3. भेरुलाल पुत्र घीसालाल जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा  
जिला चित्तौडगढ राज०
4. लाभचन्द पुत्र घीसालाल जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा  
जिला चित्तौडगढ राज०
5. सम्पतबाई पत्नि रामपाल जी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी कोचवा तह० निम्बाहेडा  
जिला चित्तौडगढ राज०
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र वैष्णव - अधिवक्ता प्रार्थीगण  
2- श्री रामेश्वरलाल धाकड - विपक्षी संख्या 1 से 5

:: निर्णय ::

दिनांक 08.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कोचवा प०ह० बडावली तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 67 के आराजी नं० 916 रकबा 0.3100 हेक्टेयर लगानी 5 रुपये 89 पैसा स्थित हैं। उक्त आराजीयात के पुराने आराजी नम्बर 705/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा हैं। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं।
2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही हैं, वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी ने पूर्व खातेदार राधाकिशन पुत्र काशिराम जी धाकड व घीसुलाल पुत्र हरलालजी धाकड निवासीयान कोचवा से रजिस्टर्ड विवाह पत्र दिनांक 14/06/1990 से पूर्व खातेदारान की पुराने आराजी नं० 705/1 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा मे से 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी ने कय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका

विधिवत नामांतरण संख्या 509 से जमाबंदी संवत् 2052-2055 पर खाता संख्या 37/1 जिसके आराजी नं० 705/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा से प्रार्थी के नाम पर दर्ज हुआ हैं ओर उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी, परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की पुराने आराजी नं० 705/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 916 रकबा 0.3100 ही दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का पुराने आराजी नं० 705/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 916 रकबा 0.3100 हेक्टेयर के बजाए रकबा 0.5300 हेक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी, तथा प्रार्थी का रकबा 1 बीघा कम कर विपक्षीगण के नाम पर उनके दर्ज पुराने आराजी नं० 705/1 मीन रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा के बजाए 5 बीघा 18 बिस्वा दर्ज कर उक्त पुराने आराजी के नवीन आराजी नम्बर 917 रकबा 1.2800 हे० दर्ज कर दिया, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ है, जबकि पूर्व खातेदारान द्वारा विक्रय करने के बाद विपक्षीगण के नाम 4 बीघा 18 बिस्वा यानि 1.06 हेक्टेयर भूमि ही दर्ज होनी चाहिए तथा प्रार्थी के नाम पर 0.53 हेक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिए उक्त त्रुटी सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुई हैं। इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 से 5 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल धाकड ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
  - I. उक्त आराजीयात के संबंध में और भी दो विक्रय पत्र निष्पादित हो चुके हैं जिनके भी हिस्से को न्यायहित में न्यायालय द्वारा विक्रयपत्र अनुसार उनका हिस्सा राजस्व रेकार्ड में रखाया जाना न्यायोचित हैं। चूँकि मोजा कोचवा की आराजी नं० 705/1 रकबा 7 बिघा 7 बिस्वा जमीन मेंसे प्रार्थी द्वारा 2 बिघा 9 बिस्वा जमीन क्रय करना बताया है लेकिन वक्त विक्रय के वक्त की जमाबंदी में मूल नम्बर के खाते में कही पर भी मूल जमाबंदी में विक्रय का नोट नहीं लगा हुआ हैं। तथा उक्त आराजी मेंसे दिनांक 4.6.2003 को श्रीमती सम्पतबाई पत्नी रामपाल धाकड निवासी कोचवा को खातेदार श्री घीसूलाल पिता हरलाल धाकड नि० कोचवा के द्वारा मोजा कोचवा की आराजी नं० 705/1 मी व आ० नं० 705/2 मेंसे अपने हिस्से में से 2 बिघा 10 बिस्वा जमीन विक्रय की हैं जिसका नामान्तरकरण संख्या 715 दिनांक 26.07.2003 सम्पतबाई के नाम से खोला गया। इसलिये उपरौक्त आराजीयात में विक्रयपत्र अनुसार विपक्षी सम्पतबाई पत्नी रामपाल धाकड का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में विधिवत निरन्तर अमल रहना आवश्यक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जा सकती हैं।
  - II. मोजा कोचवा की आराजी नं० 915, 917 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.83 में से क्रेता विपक्षी श्रीमती गुडडीबाई पत्नी अमरचन्द धाकड नि० कोचवा केद्वारा उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा जरिये रजि० विक्रयपत्र दिनांक 24.07.2013 को खरीदा गया। जो नामान्तरण सं० 25 दिनांक 05.08.2013 से राजस्व जमाबंदी में दर्ज किया गया हैं। इस प्रकार गुडडीबाई के द्वारा रजि० विक्रयपत्र से आराजीयात से अपना हिस्सा खरीदा हैं। जिसे राजस्व रेकार्ड में बराबर रखाया जाना न्यायोचित हैं। इस प्रकार प्रार्थी घीसूलाल,

विपक्षी सं० 5 सम्पतबाई, विपक्षी सं० 1 गुडडीबाई उक्त आराजीयात की रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से मालिक है, जिनका हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल रखाया जाना न्यायोचित है।

- III. राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती में जो रकबा कमी बेशी पडता है वो हिस्सा विपक्षी सं० 2,3,4 के हिस्से की जमीन में से कम किया जाना न्यायोचित है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार मोजा कोचवा की आराजी नं० 915 व 917 में प्रार्थी घीसुलाल, एवं विपक्षी सं० 1 गुडडीबाई एवं विपक्षी सं० 5 सम्पतबाई के द्वारा खरीदे गये अपने अपने हिस्से की रजिस्ट्री के आधार पर रकबा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार दर्ज रखाया जावे और जो रकबे में वक्त इन्द्राज दुरुस्ती जो भी कमी बेशी हो वो विपक्षी सं० 2,3,4 के नाम उक्त आराजीयात में दर्ज हिस्से की जमीन में से कम की जावे।

विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब मय अनुशंषा रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:-

- I. ग्राम कोचवा पटवार हल्का बडावली में वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2077-80 में दर्ज खाता संख्या 67 आराजी नं० 916 रकबा 0.31 हैक्टेयर श्री घीसुलाल पिता रामलाल धाकड़ निवासी कोचवा के नाम एवं आराजी नं० 917 रकबा 1.28 हैक्टेयर श्रीमती गुडडीबाई पत्नी अमरचन्द नोजी पत्नी घीसुलाल भेरुलाल पिता घीसुलाल लाभचन्द पिता घीसुलाल सम्पतबाई पत्नी रामपाल जाति धाकड़ निवासी कोचवा के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।
- II. ग्राम कोचवा में उपरोक्त आराजी नम्बर 916 रकबा 0.31 हैक्टेयर के गत भू-प्रबंध में आराजी नं० 705/1 रकबा 2.09 बीघा जो जमाबन्दी संवत् 2060-63 में खाता संख्या 50 में श्री घीसुलाल पिता रामलाल धाकड़ के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः वर्तमान नं० 916 के गत भू-प्रबंध में 705/1 दर्ज है एवं वर्तमान आराजी नं० 917 रकबा 1.28 हेक्टेयर के गत भू-प्रबंध में आराजी नं० 705 मीन दर्ज है। प्रार्थी श्री घीसुलाल पिता रामलाल धाकड़ निवासी कोचवा ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.06.1990 को विपक्षीगण से 2.09 बीघा कृषि भूमि क्रय कर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाई। जिसमें आराजी नं० 705/1 रकबा 7.07 बीघा में से 2.09 बीघा भूमि प्रार्थी ने क्रय की बाद विपक्षी के नाम 4.18 बीघा भूमि शेष दर्ज रही थी लेकिन भू-प्रबंध के दौरान सहवन से प्रार्थी श्री घीसुलाल पिता रामलाल धाकड़ के नाम 0.31 हैक्टेयर ही दर्ज हुई जबकि भू-प्रबंध से पूर्व रेकार्ड अनुसार रकबा 2.09 बीघा दर्ज होना चाहिए था और विपक्षीगण के नाम रकबा 4.18 बीघा दर्ज होना चाहिए था जबकि प्रार्थीगण की 1.00 बीघा भूमि वापस विपक्षीगण के नाम दर्ज हो गई। मौके पर पूर्व रेकार्ड एवं वर्तमान रेकार्ड अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त विक्रय दिनांक से ही निर्विवाद चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी फसल बो रखी हैं। उपरोक्त बिन्दु अनुसार धारा 136 का प्रकरण बनना पाया जाता है तथा शुद्धि किया जाना उचित है।
5. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

8

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

*136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*

*Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

7. इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत प्रार्थना-पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरुस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत आवश्यक होने पर दुरुस्त किया जा सकता है।
8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी द्वारा रजिस्टर विक्रय पत्र के माध्यम से 2 बिघा 9 बिस्वा भूमि क्रय की गई है जो गलत तरीके से प्रार्थी की 1 बीघा भूमि विपक्षी क्रमांक 2,3,4 के नाम पुनः दर्ज कर दी गई है। जिसे विपक्षीगण क्रमांक 1 से 5 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में विपक्षी सं० 2,3,4 के नाम दर्ज हिस्से की जमीन में से कम की जाकर विपक्षी क्रमांक 1 व 5 की दर्ज भूमि यथावत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात बाबत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती बाबत अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सहमति प्रदान की गई है और तहसीलदार निम्बाहेडा की प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार शुद्धि किए जाने हेतु अनुशंषा की गई। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है


## आदेश

तहसीलदार निम्बाहेडा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कोचवा पटवार हल्का बडावली की खाता संख्या 49 की आराजी नम्बर 917 रकबा 1.2800 हैक्टेयर जो कि विपक्षी क्रमांक 2 नोजी पत्नि धीसालाल धाकड निवासी कोचवा, विपक्षी क्रमांक 3 भेरुलाल पुत्र धीसालाल धाकड निवासी कोचवा, विपक्षी क्रमांक 4 लाभचन्द पुत्र धीसालाल धाकड निवासी कोचवा के संयुक्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज 69/338 में से प्रार्थी धीसुलाल पुत्र रामलाल धाकड निवासी कोचवा के नाम 27/160 हिस्सा यानि 0.2160 हैक्टेयर भूमि व विपक्षी क्रमांक 2 नोजी पत्नि धीसालाल धाकड निवासी कोचवा के 319/27040 हिस्सा, विपक्षी क्रमांक 3 भेरुलाल पुत्र धीसालाल धाकड निवासी कोचवा के 319/27040 हिस्सा, विपक्षी क्रमांक 4 लाभचन्द पुत्र

४

घीसालाल धाकड निवासी कोचवा के 319/27040 हिस्सा तथा विपक्षी क्रमांक 1 गुडडीबाई पत्नि अमरचन्द जी धाकड निवासी कोचवा के 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 5 सम्पत बाई पत्नि रामपाल धाकड निवासी कोचवा का 50/169 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार संशोधन कर दर्ज किए जाने का आदेश दिये जाते है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

  
(विकास पंचोली)  
उपखंड अधिकारी  
निम्बाहेडा